न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 27/2024
अनवान : –

1. अनिल कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

2. कौशल्या पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. निर्मला देवी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजकला देवी पुत्री महेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

7. कार्तिक नाबालिग पुत्र अनिल कुमार जरिये संरक्षिका माता कान्ता पत्नी अनिल कुमार जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री हवासिंह अधिवक्ता **सायल**
2. श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 11/03/2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74/73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि में से 1834/5503 हिस्सा सायल के पिता महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज था। उनकी फौतदगी के बाद गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने विवादित भूमि में आना जो भी हक हिस्सा था वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था अब उनका विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही है लेकिन सायल के पिता महेन्द्रसिंह के फौत होने पर गलत रूप से गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम प्रत्येक के 917/11006 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी जो की दुरूस्त योग्य है।

सायल को अपने पिता से 917/11006 हिस्सा विरासतन प्राप्त होता है उसमें तरतीबी गैरसायल न0 7 दावा में वादी 1/2 हिस्सा प्राप्त कर सकता है शेष जो भूमि सायल को गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपनी माता व बहनों से प्राप्त होती है उसमें तरतीबी गैरसायल संख्या 7 वादी का कोई हक हिस्सा नही बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:26 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल संख्या 1 ता 3 [illegible] जो भी हक व हिस्सा था वह मौखिक रूप से सायल के पक्ष में तर्क कर दिया इसलिए विवादित [illegible]में सायल का

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

6419/22012 हिस्सा एवं तरतीबी गैरसायल संख्या 7 वादी का 917/22012 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है जिसकी अदालत से घोषणा करवाकर अपने नाम 6419/22012 हिस्सा अमल दरामद करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की तरफ से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया की जवाब नही देना चाहते है बहस सुनी जावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 74/73 की कुल 5.5030 हैक्ट भूमि में से 1834/5503 हिस्सा सायल के पिता महेन्द्रसिंह के नाम दर्ज था। उनकी फौतदगी के बाद गैरसायल संख्या 1 ता 3 ने विवादित भूमि में आना जो भी हक हिस्सा था वादी के पक्ष में तर्क कर दिया था अब उनका विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नही है लेकिन सायल के पिता महेन्द्रसिंह के फौत होने पर गलत रूप से गैरसायल संख्या 1 ता 3 के नाम प्रत्येक के 917/11006 हिस्सा भूमि दर्ज हो गयी जो की दुरूस्त योग्य है। सायल को अपने पिता से 917/11006 हिस्सा विरासतन प्राप्त होता है उसमें तरतीबी गैरसायल न0 7 दावा में वादी 1/2 हिस्सा प्राप्त कर सकता है शेष जो भूमि सायल को गैरसायल संख्या 1 ता 3 अपनी माता व बहनों से प्राप्त होती है उसमें तरतीबी गैरसायल संख्या 7 वादी का कोई हक हिस्सा नही बनता है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की उक्त वाद भूमि गैरसायल संख्या 2 को अपने पति से एवं गैरसायल संख्या 3 व 4 को अपने पिता से विरासत प्राप्त हुई हैं। गैरसायल संख्या 2 ता 4 ने अपना हक हिस्सा सायल के पक्ष में तर्क नही किया है गैरसायल संख्या 2 ता 4 अपना जो भी हक हिस्सा है लेना चाहती है। गैरसायल संख्या 2 ता 4 के नाम दर्ज भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है। अतः प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद अप्रार्थीगण कौशल्या, निर्मला व राजकला ने अपना हक हिस्सा प्रार्थी के पक्ष में तर्क कर दिया लेकिन अप्रार्थी का कथन है कि उन्होंने प्रार्थी के पक्ष में अपना हक हिस्सा तर्क नही किया है अपना जो भी हक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है हम लेना चाहती है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 18:30:26 IST
Reason: SelfAttested